पत्रांक 4866/आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0 05 /14–15/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
दिनांकः: देहरादून :: 22 जनवरी 2015

**समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,**
**समस्त असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,**
**समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड**

उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 98/2015/181(120)/xxvii(8)/08/देहरादून/दिनांक 20 जनवरी 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (अधिनियम सं0 74 वर्ष 1956) की धारा 8 की उपधारा ()5 सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम सं0 10 वर्ष 1987) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, अधिसूचना सं0 6222/I.F/2–2001/2000–2001 दिनांक 25 जुलाई, 2001 एवं अधिसूचना में संशोधन सम्बन्धी अधिसूचना सं0–822/XXvii(5)/vyapar kar /2004 दिनांक 03 जुलाई, 2004, अधिसूचना सं0–06/xxvii(8)/vanijya kar (CST)/2006 दिनांक 21.01.2006 एवं अधिसूचना सं0–937/xxvii(8)/vanijya kar (CST)/2006 दिनांक 19.12.2006 के सम्बन्ध में संशोधन किया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

**संलग्न–उपरोक्तानुसार।**

(पीयूष कुमार)
एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड

पृ0प0सं0 4866 /दिनांक उक्त।

**प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1– सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, इन्द्रानगर, देहरादून।
3– अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अभिकरण, देहरादून/हल्द्वानी।
4– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/ कुमाऊं जोन रूद्रपुर।
5– एडिशनल कमिश्नर (आडिट/प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
6– **ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**
7– ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।

v.notification/14.15 | 293

8– ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, /हरिद्वार/रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

9– श्री शहाब अली, डिप्टी कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून एवं Web-Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।

10– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रूड़की को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।

11– आई0टी0–अनुभाग मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को E-mail द्वारा प्रेषित कर दें।

12–Intavatt Info. Pvt. 4 फेयरी मैनर IInd Floor 13– आर0 सिंधुआ मार्ग मुम्बई–400001 महाराष्ट्र।

13–National Law House बी–2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड़, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

14–National Law and Management House 15/5 राजनगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

15–Swastk Publication एस0ई–233, शास्त्री नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

16–Law Book Traders 10–नगर निगम कम्पाउण्ड केसरगन्ज रोड़ मेरठ उ0 प्र0।

17–डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्या0 कार्य0) वाणिज्य कर, नैनीताल।

18–अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सर्वश्री सत्या इण्डस्ट्रीज, माहब्बेवाला औद्यौगिक क्षेत्र देहरादून।

19–प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय सर्वश्री क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड़ देहरादून।

20–दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल सर्वश्री नागलिया ऑटोमोबाईल त्यागी रोड़ देहरादून।

21– प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड, सर्वश्री दीवान ट्रेंडिंग कम्पनी 81–मोती बाजार देहरादून।

22–The whole sale dealers Association 14–आढ़त बाजार देहरादून।

23– प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन 222/5 गांधी ग्राम देहरादून।

24– कार्यालय अधीक्षक/विधि–अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

25– समस्त अनुभाग अधिकारी मुख्यालय।

एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड।

(3)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
सं0 /2015/181(120)/XXVII(8)/08
देहरादून:: दिनांक: 20 जनवरी 2015

## अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (अधिनियम सं0 74 वर्ष 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम सं0 10 वर्ष 1987) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, अधिसूचना संख्या **6222/ I.F./ 2-2001/ 2000-2001** दिनांक **25 जुलाई, 2001** एवं इस अधिसूचना में संशोधन संबंधी अधिसूचना संख्या **822/ XXVII(5)/ Vyapar kar/ 2004** दिनांक **3 जुलाई, 2004**, अधिसूचना संख्या **06 /XXVII(8)/ Vanijya Kar(CST)/ 2006** दिनांक **21-01-2006** एवं अधिसूचना संख्या **937/ XXVII(8)/ Vanijya Kar(CST)/ 2006** दिनांक **19-12-2006** में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा निर्देशित करते हैं कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, किसी औद्योगिक निर्माता इकाई जिसका मुख्य व्यापार स्थल उत्तराखण्ड में हो, द्वारा, ऐसे मुख्य व्यापार स्थल से अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान किसी माल, जिस पर उक्त धारा की उपधारा (1) लागू होती हों, की बिक्री करने पर उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, तथा फार्म–'सी' में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, 1% (एक प्रतिशत) की दर से कर देय होगा।

**शर्तें**

1. ऐसी बिक्री ऐसी निर्माता औद्योगिक इकाई द्वारा की गयी हो जिसका कि मशीन एवं संयत्र में कुल पूँजी निवेश रूपये पच्चीस करोड़ या उससे कम हो;
2. पूँजी निवेश के ऐसे दावे के समर्थन में, अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, "एकाउन्टेन्ट" द्वारा ऑडिटेड बैलेंस शीट तथा कर निर्धारण प्राधिकारी की अपेक्षा के अनुसार अन्य संबंधित अभिलेख प्रस्तुत कर दिए गए हों;

   उक्त के प्रयोजन हेतु "एकाउन्टेन्ट" से ऐसा एकाउन्टेन्ट अभिप्रेत है जैसा कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (3) के बाद अंकित स्पष्टीकरण में दिया गया है; पूँजी निवेश के दावे को सत्यापित करने के लिए कर निर्धारण प्राधिकारी मौके पर स्थापित प्लान्ट एवं मशीनरीं का निरीक्षण कर सकता है। निरीक्षण किए जाने की दशा में, प्रस्तुत तुलन पत्र (बैलेंस शीट) अथवा अन्य अभिलेख की तुलना में पूँजी निवेश के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य न पाया गया हो;
3. ऐसी बिक्री ऐसी विनिर्माता औद्योगिक इकाई द्वारा की गयी हो जो निम्न में नियोजित (engaged) न हो –

   (क) व्यापार(ट्रेडिंग)
   (ख) खनन(माईनिंग)
   (ग) स्टोन क्रशिंग
   (घ) शीरा(मोलासिस) का विनिर्माण व बिक्री
   (ङ) धान अथवा चावल का उत्पादन व बिक्री
   (च) टिम्बर अथवा टिम्बर के उत्पाद की बिक्री
   (छ) लीसा, बिरोजा अथवा तारपीन का तेल की बिक्री एवं निर्माण

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

1040)
22/01/15

संо 98/2015/181(120)/XXVII(8)/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3. भाषा [illegible]

4. सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।

5. एन0आई0सी0

6. गार्ड फाईल हेतु।

(राकेश शर्मा)

अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 98/ 2015/ 181(120)/ XXVII(8)/ 08 dated 20 JANARY 2015 for general information.

**Government Of Uttarakhand**
**Vitta Anubhag-8**
**No. 98 / 2015/181(120)/ XXVII(8)/ 08**
**Debradun :: Dated: 20 JANUARY, 2015**

**Notification**

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is necessary to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Act No. 74 of 1956), read with section 21 of General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897), the Governor is **pleased to accord sanction to make amendments in notification no. 6222/ I.F./ 2-2001/ 2000-2001 dated 25 July, 2001 and notifications related to amendment in this notification viz notification no. 822/ XXVII(5)/ Vyapar kar/ 2004 dated 3 July, 2004, Notification no. 06 /XXVII(8)/ Vanijya Kar(CST)/ 2006 dated 21-01-2006 and Notification no. 937/ XXVII(8)/ Vanijya Kar(CST)/ 2006 dated 19-12-2006** and direct that with effect from issue of this notification, the tax payable under sub-section (1) of the said section by any manufacturing industrial unit having his main place of business in Uttarakhand, in respect of the sales by him from any such place of business, in the course of inter-state trade or commerce, of any goods to which the said sub-section (1) applies, shall, **subject to the conditions hereinafter specified**, and, on furnishing the declaration in form 'C' be calculated at the rate of 1%(One Percent).

**Conditions**

1. the sales are made by manufacturing industrial unit whose Total Capital Investment in Plant and Machinery is less than Rs. 25 Crores;

2. in support of the claim of such investment, notwithstanding contained in the Act, a balance sheet audited by an "Accountant" and other related documents as required by the Assessing Authority are produced.

   for this purpose "Accountant" means an Accountant as provided in the Explanation given after sub-section (3) of Section 62 of the Uttarakhand Value Added Tax Act. To verify the claim of such investment, if the Assessing Authority finds it necessary, may inspect the site of installation of the Plant and Machinery; and

3. the sales are made by manufacturing Industrial Unit other than units engaged in-

   (a) Trading
   (b) Mining
   (c) Crushing of stone
   (d) Manufacture and sale of Molasses
   (e) Manufacture and sale of Paddy or Rice
   (f) Manufacture and sale of Timber or Timber product
   (g) Manufacture and sale of Resin, Rosin or turpentine oil

(Rakesh Sharma)
Additional Chief Secretary.